कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्र. एफ / के.वी.के. / फार्म / दौसा / 2025 / 31 दिनांकः 14.05.2025

सीमित निविदा

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा में वर्ष 2025–26 में फार्म पर खरीफ 2025 व रबी 2025–26 में लगभग 6.0 हैक्टर क्षेत्र में हिस्सा आधारित खेती हेतु निर्धारित प्रपत्र में मोहर बंद निविदायें दिनांक 24.05.2025 दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं। इस हेतु इच्छित फर्म / व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता व पैन नंबर हो उपर्युक्त कार्य करने के लिए अपनी निविदा बन्द लिफाफे में भरकर दिनांक 24.05.2025 को 12:00 बजे दोपहर तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 1.00 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग दो लाख रूपए होगी। इस निविदा की सूचना विश्वविद्यालय पोर्टल www.sknau.ac.in तथा SPP पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

चाहे गये कार्य के लिए हमारी दरें इस प्रकार है (कार्य की अवधि : खरीफ 2025 व रबी 2025–26)

विवरण	हिस्सेदारी	हिस्सा प्रतिशत में
1. बीज व भूसा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
	कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	

हिस्सा आधारित खेती की शर्तें :

1. ट्रेक्टर सम्बन्धित कार्य डिस्क प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि की तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई आदि के कार्य की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसें सम्बन्धित डीजल खर्च, व्यवस्था में निविदादाता को कोई योगदान नही होगा। परन्तु श्रमिक एवम् अनुभवी ट्रेक्टर चालक (लाईसेन्स धारक) अवयव निविदादाता के होंगे।
2. बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, फफूंद नाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र ही करेगा। बीज उपचार फार्म प्रभारी / प्रबन्धक / वैज्ञानिक के निर्देशानुसार निविदादाता को करना होगा।
3. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति मे दवाईयों, स्प्रेयर आदि की आपूर्ती भी केन्द्र ही करेगा। परन्तु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
4. कटाई से लेकर फसल थ्रेसिंग तथा उसके बाद उत्पाद की साफ–सफाई करके बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक एवम् थ्रेसिंग का खर्चा निविदादाता को ही वहन करना होगा।
5. स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाईप, फव्वारे सैट, टी डाट आदि गिनकर लिखित रूप् में प्राप्त करनें होंगे तथा कार्य समाप्ति पर सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे।
6. विभिन्न प्रकार की कृषि कियाऐं फार्म प्रबन्धक तथा फार्म इन्चार्ज एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार करनी होगी तथा कृषि कार्य जैसे निराई, गुढाई, कटाई व अन्य श्रमिक कार्य निविदिदाता को वहन करने होंगे।
7. हिस्साधारक को उत्पादन के रुप में बीज नहीं दिया जायेगा। हिस्से की राशि उत्पादन को जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी में सात दिन पहले एवं सात दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा या चारे की राशि दिया जायेगा।
8. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकट्ठा करना है, इसके लिये फार्म प्रबन्धक तथा फार्म इन्चार्ज या वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इकट्ठा करने के लिये ट्रेक्टर की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जायेगी।

9. निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये करने होंगे, प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य को रोके जाने का अधिकार फार्म प्रभारी या वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का होगा।
10. बोई गई फसल की जानवरों से, चोरी से रक्षा करना निविदादाता का होगा।
11. खरीफ 2025 में निर्देशानुसार हरी खाद को पलटना होगा। फसल उत्पादन में ही ठेकेदार का हिस्सा होगा तथा उसी क्षेत्रफल के हिसाब से अमानत राशि प्रति हैक्टर प्रति सीजन जमा करवानी होगी।
12. बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा।
13. निविदादाता को निविदा के साथ अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।
14. पम्प व ट्यूबवेल, मोटर ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा द्वारा एक बार चालु हालत में देने के बाद कार्य पूरा होने के बाद चालु हालत में निविदादाता द्वारा कार्यालय में जमा कराना होगा व इस दौरान मरम्मत सम्बन्धी कार्य यदि हो तो निविदादाता को ही कराना होगा एवम् खर्चा निविदादाता को ही वहन करना होगा।
15. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुरन्त बाद एक हजार रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी। यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
16. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का दो प्रतिशत काटा जायेगा।
17. न्यूनतम निविदा दर को कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा।
18. किसी भी प्रकार की जोखिम/दुर्घटना के लिए के.वी.के. दौसा उत्तरदायी नही होगा।
19. फार्म पर बीज उत्पादक कार्यक्रम में प्राप्त उपज को केन्द्र द्वारा ही रखा जावेगा। ठेकेदार को उसके हिस्से का बटवारा उस समय की प्रचलित बाजार दर/मण्डी के भाव से उसके हिस्से की तोल के अनुसार चेक द्वारा राशि में किया जावेगा।
20. फसल सम्बंधी कार्य में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं लगाया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तें हमें मन्जूर हैं एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्य करने पर सहमत हूँ।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. निदेशक, अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस सीमित निविदा को sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करे।
5. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा।
6. लेखा शाखा, कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा।
7. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Dausa